Rules

• सामान्य नियम

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर संबंधित विद्यार्थी शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा।

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय आएगा। किसी भी स्थिति में उनकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होना चाहिए।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा। साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठयेत्तर गतिविधियों में भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा। अभद्र व्यवहार, असंसदीय भाषा का प्रयोग, गाली–गलौच, मारपीट या अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता से व्यवहार करेगा।
5. महाविद्यालय की सीमाओं मे किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा।
6. महाविद्यालय में इधर–उधर थूकना, दीवारों को गंदा करना या गंदी बातें करना सख्त मना है। विद्यार्थी के असामाजिक तथा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
7. विद्यार्थी अपनी मांग का प्रदर्शन आन्दोलन, हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिए राजनीतिक दलो, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।
8. महाविद्यालय परिसर में मोबाइल के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा।

• अध्ययन संबंधी नियम

1. प्रत्येक विषय की नियमित कक्षा में विद्यार्थी की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
2. अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाई के लिए वह गुरुजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्ण ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
3. व्याख्यान कक्षों प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पखे, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि की तोड़फोड़ करना दंडात्मक आचरण माना जायेगा व दंडित किया जायेगा।

• परीक्षा संबंधी नियम

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाले सभी ईकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अरिवार्य है।
2. अस्वस्थता के कारण आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टीफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत ही परीक्षा देगा।
3. परीक्षा में किसी प्रकार के अनुचित लाभ होने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा।

• महाविद्यालय का अधिकार क्षेत्र

1. यदि छात्र किसी अनैतिकता मूलक गंभीर अभियुक्त पाया गया हो तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि छात्र रैंगिंग में लिप्त पाया गया तो शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना प्रतिशेध अधिनियम 2001 के अनुसार रैंगिंग किए जाने पर अथवा रैंगिंग के लिए प्रेरित किये जाने पर पॉच साल तक कारावास की सजा या पॉच हजार रुपए जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है।

रैंगिंग एक दण्डनीय अपराध है

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यादेश 2009 की कंडिका 3 के अनुसार

रैंगिंग के अतंर्गत आने वाले कृत्य निम्नलिखित हैं :–

1. किसी विद्यार्थी या विद्यार्थियों द्वारा किया गया ऐसा कृत्य जिसमें बोले गये शब्द या किया गया काम जिसके अनुसार चिढ़ाना या रूखाई से पेश आना प्रतीत होता है।
2. विद्यार्थी एवं विद्यार्थियों द्वारा किया गया असत्य या अनुशासनहीन कृत्य जिसमें नये विद्यार्थी को क्रोध आये किसी प्रकार की शारीरिक, मानसिक या मनोवैज्ञानिक, पीड़ा या डर उत्पन्न हो।
3. ऐसा कोई कार्य जो कि शर्मनाक हो जिसमें नये विद्यार्थी की शर्मिन्दगी, मानसिक पीड़ा या मनोवैज्ञानिक उत्पीड़न हो।
4. वरिष्ठ छात्र द्वारा किया गया ऐसा कोई कार्य जो नये विद्यार्थी की अकादमिक गतिविधि में अवरोध उत्पन्न करें।
5. किसी नवीन प्रवेशित छात्र या अन्य कोई छात्र का शोषण करके अपने या अपने समूह के लिए अकादमिक कार्य कराना।
6. किसी भी नये विद्यार्थी या अन्य किसी छात्र के ऊपर जबरदस्ती वित्तीय बोझ डालना।
7. शारीरिक पीड़ा देने का कोई भी कृत्य जैसे अश्लील गतिविधियां, इशारेबाजी या स्वास्थ्य को नुकसान पहुॅचाने वाले कार्य।
8. शब्दों द्वारा पीड़ा पहुॅचाना, ई–मेल करना, डॉक द्वारा सार्वजनिक अपमान करना। दूसरों को पीड़ा पहुॅचाकर मानसिक संतोष प्राप्त करना। इन सब कृत्यों में लिप्त होना या साथ देना।
9. ऐसा कोई कार्य जो नये विद्यार्थी के मानसिक स्वास्थ्य या उसके आत्मविश्वास को प्रभावित करें।

• रैगिंग के विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही

संस्था रैगिंग करने वाले विद्यार्थी को अपराधी पाये जाने पर निम्न प्रकार से सजा दे सकती हैः–

1. एंटी रैगिंग कमेटी सभी रैगिंग की घटनाओं के तथ्यों तथा उनकी गंभीरता को देखते हुए रैंगिंग स्क्वायड के द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर उचित निर्णय लेगी।

2. एंटी रैंगिंग स्क्वायड के द्वारा सिद्ध किये गये अपराध का प्रकार एवं गंभीरता देखते हुए एंटी रैंगिंग कमेटी निम्नलिखित में से एक से अधिक सजा दे सकती है ::–

- ❖ अकादमिक सुविधाओं एवं कक्षाओं से निलम्बन।
- ❖ छात्रवृत्ति, फेलोशिप और दूसरे लाभों से वंचित करना।
- ❖ किसी भी परीक्षा आंतरिक एवं अन्य मूल्यांकन प्रक्रिया में शामिल होने से रोकना।
- ❖ परिणाम रोकना।
- ❖ कियी क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतराष्ट्रीय या युवा उत्सव में संस्था का प्रतिनिधित्व करने से रोकना। हॉस्टल से निलंबन या निष्कासन।
- ❖ प्रवेश निरस्त करना।